पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-7/2019

थाना कांड संख्या -34 वर्ष-1992 थाना- शिवसागर जिला- रोहतास से उत्पन्न

==========

सुदामा राम, पुत्र गंगदयाल राम, गाँव-बिश्रामपुर, थाना-शिवसागर, जिला- रोहतास (सासाराम)

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

==========

साथ में

आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1444/2018

थाना कांड संख्या -34 वर्ष-1992 थाना- शिवसागर जिला- रोहतास से उत्पन्न

==========

विभीषण राम, पुत्र श्री पति राम, निवासी ग्राम-बिश्रामपुर, थाना-बद्दी शिवसागर, जिला-रोहतास

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

(आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 7/2019 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री प्रवीण कुमार, अधिवक्ता

श्री अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.

(आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1444/2018 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री सत्य नारायण प्रसाद, अ.लो.अ.

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

• भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302/34, 201

• शस्त्र अधिनियम की धारा 25(ए)/27

• साक्ष्य अधिनियम की धारा 27

संदर्भित मामले:

• बिजेंद्र उर्फ मंदार बनाम हरियाणा राज्य, (2022) 1 एससीसी 92 में रिपोर्ट किया गया।

• सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय, (2018) 8 एससीसी 271 में रिपोर्ट किया गया

• रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1396 में रिपोर्ट किया गया

• हरिचरण कुर्मी और जोगिया हजाम बनाम बिहार राज्य, 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 28 में रिपोर्ट किया गया

• सुब्रमण्य बनाम। कर्नाटक राज्य, (2023) 11 एससीसी 255 में रिपोर्ट किया गया

• शरद बिरधी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में रिपोर्ट किया गया

***अपील**- यह अपील उस निर्णय को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत संबंधित निचली अदालत ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(ए)/27 के तहत दोषी ठहराया है।*

न्यायालय का निर्णय:

फौजदारी मुकदमों में नैतिक आस्था या गंभीर संदेह के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में, जब अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पूरी तरह से असंतोषजनक होते हैं और अभियोजन पक्ष सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान पर भरोसा करना चाहता है, तो निर्दोषता की धारणा, जो कि आपराधिक न्यायशास्त्र की आधारशिला है, अदालत को यह निर्णय देने के लिए बाध्य करती है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए, उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए। (पैरा 28)

जब अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान का उपयोग दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध करता है, तो सही दृष्टिकोण यह होता है कि पहले उस अभियुक्त के खिलाफ उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाए। यदि वे साक्ष्य संतोषजनक प्रतीत होते हैं और न्यायालय यह मानने की प्रवृत्ति रखता है कि वे आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं, तो न्यायालय अपने निष्कर्ष की पुष्टि के लिए सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान पर विचार कर सकता है। वर्तमान मामले में, सह-अभियुक्त के बयान के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अपीलकर्ता को संबंधित घटना से जोड़ता हो। इसलिए, केवल सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। (पैरा 30)

अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की उस श्रृंखला को स्थापित करने में असफल रहा है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किया है। (पैरा 32)

अपील स्वीकार की जाती है।(पैरा 35)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे
मौखिक निर्णय
(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)
तारीखः 12-02-2025

दोनों अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) की धारा 374(2) के तहत दायर की गई हैं, जिसमें शिवसागर (बद्दी) पी.एस. से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 285/93 में विद्वान त्वरित विचारण न्यायालय -प्रथम, रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक 26.09.2018 को दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 03.10.2018 को सजा के आदेश को चुनौती दी गई है। मामला संख्या 34/1992, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(ए)/27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

1.1 चूंकि, ये दोनों अपीलें सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

<u>तथ्यात्मक आव्यूह :-</u>

2. अभियोजन पक्ष के मामले का सार इस प्रकार है:-

2.1 सूचक ने दिनांक 06.03.1992 को रात्रि 10:00 बजे अपने भाई व *समधी* की उपस्थिति में बद्दी पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 28.02.1992 को सायं 06:30 बजे उसके भतीजे सुदामा राम व भभिक्षण राम आये तथा उसके पुत्र दुखन *उर्फ* राधेश्याम राम को शिकार के बहाने अपने साथ ले गये, परन्तु दुखन *उर्फ* राधेश्याम राम (मृतक) घर वापस नहीं लौटा। उन्होंने राधेश्याम राम को हर जगह खोजा लेकिन वह नहीं मिला। उनका भतीजा सुदामा राम भी उसी दिन से घर से गायब है और वापस घर नहीं लौटा है। उनका भतीजा भभिक्षण राम कभी-कभी घर आता था। वह अपने बेटे के बारे में पूछता था लेकिन वह कुछ नहीं बताता था और कहता था कि उसे कुछ नहीं पता। दिनांक 06.03.1992 को लगभग 09:00 बजे रात्रि में उन्होंने भभिक्षण राम को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सुदामा राम के साथ मिलकर अपने बेटे की पिस्तौल से हत्या कर दी है जिससे उसकी वहीं मौत हो गई और जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने शव को कहां छिपाया है तो उसने बताने से इंकार कर दिया और बताया कि सुदामा राम डर के मारे सासाराम बाजार में छिपा रहता है और कभी-कभी उसे गांव के मामले की जानकारी देने के लिए घर भेज देता है और इसी कारण वह आया है। सिपाही दिनेश सिंह और *चौकीदार* नथुनी पासवान की मदद से जब भभीक्षण राम को थाने लाया जा रहा था, तो रास्ते में उसने बताया कि उन दोनों ने शव को मरीचाई बहियार तालाब के बांध में दफना दिया है।

2.2 एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं/आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र

न्यायालय को सौंप दिया जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 285/93 के रूप में पंजीकृत किया गया।

2.3 निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित 13 गवाहों से पूछताछ की थीः

अ सा -1	शंकर दयाल राम
अ सा -2	लक्षण पासवान
अ सा -3	शिवगोविंद राम
अ सा -4	शिवपुजन राम
अ सा -5	मोहित राम
अ सा -6	शिवनारायण राम
अ सा -7	रानिया देवी
अ सा -8	शिव धोबी
अ सा -9	दिनेश सिंह
अ सा -10	नथुनी पासवान
अ सा -11	डॉ. रवींद्र नाथ सिंह
अ सा -12	वासुदेव प्रसाद
अ सा -13	मनमोहन झा आजाद

3. आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 7/2019 में, हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री प्रवीण कुमार को सुना है, जिनकी सहायता प्रतिवादी-राज्य के विद्वान ए.पी.पी. श्री अजय कुमार सिंह और श्री सुजीत कुमार सिंह ने की है।

3.1 आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 1444/2018 में, हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री बीरेंद्र कुमार सिंह और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अ.लो.अ. श्री सत्य नारायण प्रसाद को सुना है।

<u>अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ:-</u>

4. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और विचाराधीन घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अभियोजन पक्ष उन परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है जिनसे यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों ने कथित अपराध किए हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद, निचली अदालत ने दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया है। इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाए।

5. विद्वान वकीलों ने आगे कहा कि निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के इकबालिया बयान पर भरोसा किया है और यह माना गया है कि उक्त इकबालिया बयान के आधार पर मृतक का शव बरामद किया गया था और अपराध करने में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी उसके कहने पर बरामद की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी विभीषण राम के उक्त इकबालिया बयान के आधार पर, दोषसिद्धि का आदेश दर्ज किया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील सुदामा राम ने तर्क दिया है कि उक्त अपीलार्थी को सह-दोषी विभिसन राम के तथाकथित इकबालिया बयान के आधार पर फंसाया गया है और उक्त अपीलार्थी के खिलाफ कोई अन्य सबूत/सामग्री नहीं है जो उसे विचाराधीन घटना से जोड़ती है। आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब उक्त अपीलार्थी को विचाराधीन घटना से जोड़ने वाला कोई अन्य सबूत नहीं है, तो केवल सह-दोषी के इकबालिया बयान के आधार पर उसकी दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त अपीलार्थी सुदामा राम द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया जाए।

7. अपीलकर्ता विभीषण राम के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है, मृतक का शव बरामद किया गया था और यहां तक कि पिस्तौल भी अपीलकर्ता/आरोपी के तथाकथित बयान के आधार पर रात के समय बरामद की गई थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता विभीषण राम का इकबालिया बयान अगले दिन सुबह ही दर्ज किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता विभीषण राम के इकबालिया बयान दर्ज किए जाने से पहले ही शव और हथियार की खोज/बरामदगी हो चुकी थी। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए विवादित फैसले को खारिज किया जाए।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(i) **बिजेंद्र उर्फ मंदार बनाम हरियाणा राज्य, (2022)1 एस सी सी 92**

(ii) **सुरिंदर कुमार खन्ना बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय, (2018)8 एस सी सी 271**

<u>राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ:-</u>

9. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. ने वर्तमान अपीलों का विरोध किया है। विद्वान ए.पी.पी. ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, फिर भी अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके मामला सिद्ध कर दिया है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/अभियुक्त विभीषण राम के इकबालिया बयान पर भरोसा करके सही किया है। प्रस्तुत किया गया है कि इकबालिया बयान के आधार पर मृतक का शव बरामद किया गया। इसके अलावा, अपराध को अंजाम देने में प्रयुक्त हथियार भी अपीलकर्ता विभीषण राम की निशानदेही पर बरामद किया गया। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई

त्रुटि नहीं की है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान अपीलों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

<u>अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के संबंध में चर्चा:-</u>

10. अ सा -1 शंकर दयाल राम और अ सा -2 लक्षण पासवान ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

11. अ सा -3, अ सा -4, अ सा -7, अ सा -8, अ सा -9 और अ सा -10 के साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. अ. सा. -5 मोहित राम ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बयान दिया है कि इंस्पेक्टर ने विभीषण के बयान के आधार पर बंदूक को शेड से बरामद किया था। उस समय वह भी वहां मौजूद था। इसके बाद विभीषण इंस्पेक्टर को मरचैया तालाब पर ले गया। वहां एक शव दफन था। शव पर मिट्टी की एक परत बिखरी हुई थी। विभीषण ने शव को खोदकर बाहर निकाला। उसके और शिव गोविंद के सामने बंदूक और शव बरामद किया गया और उसने खुद ही जब्ती सूची पर अपना अंगूठा लगाया था।

12.1 जिरह में उसने बताया कि कुछ देर बाद *दफदार* और *चौकीदार* आए और आरोपी विभीषण को उसके घर से और गांव से बाहर ले जाकर पूछताछ की, जिस पर उसने बताया कि उसने और सुदामा ने दुखन की हत्या कर शव को मरचैया तालाब में दफना दिया है। उस समय वह, शिवनारायण गोविंद और गांव के अन्य लोग भी वहां थे। इसके बाद विभीषण को थाने ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। विभीषण ने यह भी बताया कि उसने हत्या आठ दिन पहले की है। थाने से वे लोग सबसे पहले शव दफनाने वाले स्थान पर आए और वहीं बैठ गए। इसके बाद विभीषण पुलिस को साथ लेकर गया और बंदूक निकालकर पुलिस को दे दी। इसके बाद वापस लौटने पर

विभीषण ने शव को खोदकर निकाला। जिस समय आरोपी पुलिस को बंदूक निकालने के लिए ले जा रहा था, उस समय वहां करीब 100 लोग मौजूद थे। गोविंद राम, श्योपूजन राम और श्योनारायण राम भी उन लोगों में शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि बंदूक उनके पास नहीं मिली क्योंकि वह शव के पास ही रुक गए थे। जब शव को बाहर निकाला गया तो उन्होंने देखा कि सिर और चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। उन्होंने शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं देखी। उन्होंने आगे बताया कि दुखन राम के पास बंदूक नहीं थी।

13. अ सा -6 शिवनारायण राम मृतक दुखन का पिता है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के छह माह पूर्व बाग को लेकर विवाद हुआ था। उस समय सुदामा ने धमकी दी थी कि वह उसके पुत्र को मार कर दफना देगा, लेकिन आपसी सुलह से विवाद सुलझ गया था। विवाद सुलझने के छह माह बाद विभीषण उसके पुत्र को अपने साथ शिकार खेलने ले गया। उसका पुत्र वापस नहीं लौटा। तब उसने विभीषण से अपने पुत्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह रिश्तेदार के घर गया है। इसके बाद उसने आठ दिनों तक अपने रिश्तेदार के यहां उसकी खोज की, लेकिन उसका पुत्र नहीं मिला। आठ दिनों के बाद विभीषण को लक्ष्मण प्रसाद, शंकर दयाल, हरिद्वार बिंद, जीउत दुसाध व कई अन्य लोगों ने पकड़ लिया। इन लोगों ने उसे बताया कि विभीषण ने उसके बेटे की हत्या कर दी है। इसके बाद चौकीदार और दफादार ने विभीषण को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने उसे हत्या करने से मना किया। सुदामा अपने परिवार को गांव में ही छोड़कर भाग गया। *चौकीदार* और *दफादार* ग्रामीणों के साथ विभीषण को भी साथ ले गए। थाने में इंस्पेक्टर ने जब विभीषण से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर शव को मिरचैया बहियार में दफना दिया है। इस पर पांच पुलिसकर्मी और ग्रामीण मिरचैया बहियार गए। वहां विभीषण ने शव के बारे में बताया। इंस्पेक्टर ने उसे शव के पास बैठाया

और आरोपी विभीषण को अपने साथ ले गया। विभीषण इंस्पेक्टर को उस बगीचे में ले गया जहां बंदूक गाड़कर रखी गई थी। इसके बाद वह इंस्पेक्टर को जंगल में भी ले गया जहां उसने उसकी हत्या की थी। इसके बाद विभीषण ने शव को खोदकर निकाला। इंस्पेक्टर ने शव की जांच रिपोर्ट तैयार की जिस पर उसने थाने में अपना अंगूठा लगाया।

13.1 जिरह में उन्होंने कहा है कि जिस बाग को लेकर जमीन का विवाद हुआ, वह उनके चार भाइयों का है। उन्होंने अपने चार भाइयों के साथ मिलकर उस बाग में रास्ता बनाया था। उस रास्ते को लेकर सुदामा ने अपने बेटे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने उस घटना के संबंध में धारा 107 के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। सुदामा द्वारा दी गई धमकी के बारे में उन्होंने थाने को सूचना नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा है कि उनका बेटा दुखन पहले कभी शिकार पर नहीं जाता था। पैरा-19 में उन्होंने कहा है कि जब दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे विभीषण और सुदामा वापस आए तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह आता ही होगा। उन्होंने उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा है कि लक्ष्मण पासवान, शंकर दयाल, हरिद्वार बिंद और जीउत बिंद उनके गांव के निवासी हैं। इन लोगों ने गांव के अंदर दक्षिण दिशा में आरोपी विभीषण को पकड़ लिया था। उस समय वे अपने बेटे की तलाश में गांव से बाहर गए थे और जब रात आठ बजे के बाद वापस आए तो गांव में अफवाह उड़ी कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। यह सुनते ही वे अपने दरवाजे पर लगे नीम के पेड़ के पास बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने कंडिका 24 में बताया है कि मरचैया बधार में मुखलाला, श्योपूजन चमार, उनके भाई शिव गोविंद, देवनारायण सिंह और विजय सिंह उनके साथ रुके थे। वहां कुछ पुलिसकर्मी भी थे। वे करीब दो-तीन घंटे तक बैठे रहे। फिर बंदूक बरामद होने के बाद लोग वहां पहुंचे। पुलिसकर्मी, *दफादार* और *चौकीदार* बंदूक बरामद होने के बाद वापस आए। उन्होंने बंदूक देखी जो करीब ढाई हाथ

लंबी थी। कंडिका 30 में उन्होंने बताया है कि शव देखा था। गाल के एक तरफ का मांस गायब था और दांत आदि टूटे हुए थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्पेक्टर को यह नहीं बताया कि घटना से छह महीने पहले बाग को लेकर झगड़ा हुआ था। उस समय सुदामा ने उन्हें धमकी दी थी कि वह उनके बेटे को मार कर दफना देंगे, लेकिन सुलह के बाद वह विवाद खत्म हो गया। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया कि जब उन्होंने विभीषण से अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका बेटा किसी रिश्तेदार के घर गया है।

14. अ सा -11 डॉ. रविन्द्र नाथ सिंह ने बयान दिया है कि 7 मार्च 1992 को वे सदर अस्पताल, सासाराम में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने शाम 04:15 बजे शव का *पोस्टमार्टम* किया और निम्नलिखित बातें नोट कीं:-

> "1. पूरा शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ था, शरीर की त्वचा उखड़ी हुई थी। शरीर सड़ने की प्रारंभिक अवस्था में था
>
> 2. *मृत्यु पूर्व* निम्नलिखित घाव पाए गए-
>
> (i) खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर 1" x 1" x मस्तिष्क गहरा घाव, दाहिने किनारे के पास उल्टा था। यह प्रवेश का घाव था।
>
> (ii) मुंह के दाहिने कोण के ठीक ऊपर 2" x 2" x मस्तिष्क गहरा उल्टा किनारा वाला घाव (निकास का घाव)।
>
> दोनों घाव निरंतर हैं और एक दूसरे को संप्रेषित कर रहे हैं। मुंह के ऊपरी कोण से त्वचा और मांसपेशियां बाहर निकली हुई हैं। चोट आग्नेयास्त्र से लगी थी।
>
> 3. मृत्यु 24 से 72 घंटों के भीतर खोपड़ी और मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण हुई थी।
>
> 4. उसी प्रक्रिया में कार्बन कॉपी के साथ पी.एम. रिपोर्ट तैयार की गई और उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पी.एम. रिपोर्ट में संलग्न पी.एम. रिपोर्ट की कार्बन कॉपी उनके कलम और हस्ताक्षर में है। पी.एम. रिपोर्ट पर एक्सटेंशन 2 अंकित है।"

14.1 अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि शव सड़ना शुरू हो गया था, हालांकि मांसपेशियां बरकरार थीं और पाई गई चोटें केवल एक गोली के कारण थीं।

15. अ सा -12 वासुदेव प्रसाद जांच अधिकारी हैं, जो 29.01.1992 को बद्दी पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पद पर तैनात थे। उस दिन उन्होंने जांच का कार्यभार संभाला। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उन्होंने गंगा दयाल राम, बृजभर राम, टेंगर *उर्फ* जीतन राम, श्रीपति राम और गंगादयाल राम के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया।

16. अ सा -13 मनमोहन झा आजाद इस मामले के जांच अधिकारी भी हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मुखबिर ने *चौकीदार* नथुनी और *दफादार* दिनेश सिंह की मदद से अभियुक्त विभीषण राम को पकड़ा। उन्होंने विभीषण राम को गिरफ्तार कर चिलबिलियाडीह ले गए। थाने में भी विभीषण राम ने बताया था कि वह सुदामा के साथ अवध उर्फ राधेश्याम राम का शिकार करने मिरचईबा ताल में गया था और सुदामा ने राधेश्याम को गोली मार दी थी तथा विभीषण शव को एक बोरा में रखकर लाया था और गड्ढा खोदकर शव को मिट्टी से ढक दिया था तथा बंदूक को अरहर के खेत में छिपा दिया था। विभीषण राम उसे मिरचईया ताल ले गया और दफनाने की जगह दिखाई। वहां हाल ही में खोदी गई मिट्टी और काफी दुर्गंध मिली। रात होने के कारण उसने शव को नहीं हटवाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विभीषण राम उन्हें, थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारियों को लेकर दूसरे घटनास्थल पर ले गए जो कि अभियुक्त विभीषण राम का गोड़साना सीवान स्थित *अरहर* का खेत है। वहां विभीषण राम ने एक देशी कट्टा खोदकर उसे सौंप दिया। घटनास्थल पर ही गवाह शिवगोविंद राम व मोहित राम की मौजूदगी में अभियुक्त विभीषण राम द्वारा सौंपी गई कट्टा को जब्त कर लिया गया तथा जब्ती सूची तैयार की गई जिस पर शिवगोविंद राम ने हस्ताक्षर किए तथा मोहित राम ने अंगूठा लगाया।

इसके बाद उन्होंने थानाध्यक्ष, सूचक, ग्रामीणों व अभियुक्त विभीषण राम के कहने पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना का दूसरा घटनास्थल पहले घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर उत्तर व पश्चिम में स्थित था। बहा में गड्ढा खोदा गया था तथा वहां नग्न शव पड़ा था तथा शव के ऊपर मिट्टी व बबूल के कांटे डाले गए थे। जांच रिपोर्ट को प्रदर्श-5 के रूप में अंकित किया गया। तत्पश्चात उन्होंने गवाहों शिवगोविंद राम, मोहित राम, नारायण शर्मा, प्यारे राम, शंकरदयाल राम, श्योपूजन राम, बाबूलाल पासवान, *दफादार* दिनेश सिंह, *चौकीदार* भगवान पासवान एवं शिव धोबी का बयान दर्ज किया। दिनांक 31.05.1993 को अभियुक्त विभीषण द्वारा दी गई पिस्तौल, छर्रे एवं बारूद की जांच हेतु सार्जेंट मेजर, देहरी को पत्र भेजा गया तथा उसी मांग पत्र पर सार्जेंट मेजर ने जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट दर्ज की कि बंदूक का ट्रिगर एवं बैरल काम कर रहा था तथा छर्रे एवं बारूद बंदूक में भरने योग्य पदार्थ होते हैं। मांग पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श-6 के रूप में अंकित किया गया। तत्पश्चात वे दिनांक 08.03.1992 को सूचक शिवनारायण के घर विश्रामपुर गए जो घटनास्थल है। इसके बाद उन्होंने गवाह रनिया देवी, कलावती देवी और शिव धोबी का बयान दर्ज किया। मृतक दुखन उर्फ राधेश्याम राम की *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट उन्हें 10.03.1992 को प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने सूचक श्योनारायण राम का बयान पुनः दर्ज किया। गवाह श्योगोविंद राम ने उनके समक्ष बयान दिया था कि घटना के दिन सूचक के पुत्र दुखन राम को सुदामा राम और विभीषण राम शिकार के बहाने जंगल में ले गए थे। 06.03.1992 को उन्होंने और सूचक ने अभियुक्त विभीषण राम को पकड़ कर पूछताछ की तो अभियुक्त डर गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसकी गोली मारकर हत्या करने के बाद उसने शव को मिर्चैया तालाब में छिपा दिया था और बंदूक को *अरहर* के खेत में छिपा दिया था। इसके बाद वह पुलिस के साथ घटनास्थल पर गए और आरोपी ने उन्हें शव को ले जाने का स्थान और पिस्तौल को छुपाने का स्थान दिखाया और

उसके आधार पर शव और बंदूक बरामद की गई। साक्षी श्योपूजन राम ने उसके समक्ष बयान दिया था कि विभीषण और सुदामा राम ने मिलकर राधेश्याम की देशी कट्टे से हत्या कर शव को मिर्चैया तालाब में गाड़ दिया था तथा बंदूक को *अरहर* के खेत में छिपा दिया था। साक्षी दिनेश सिंह ने उसके समक्ष बयान दिया था कि अभियुक्त विभीषण ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, उसके पूर्व ही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर जाकर पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शव और बंदूक बरामद कर ली गई थी। दिनांक 07.03.1992 को अभियुक्त विभीषण राम ने पुलिस थाना बद्दी में अपना इकबालिया बयान दिया था, जिसे उसने स्वयं लिखा था तथा विभीषण राम ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था। इस इकबालिया बयान के आधार पर शव और बंदूक विभीषण राम द्वारा बरामद कर ली गई थी। इकबालिया बयान को प्रदर्श-8 के रूप में अंकित किया गया था।

16.1 जिरह में उन्होंने कहा है कि 06.03.1992 को वे घटनास्थल मिरचैया ताल पर थे। अभियुक्त विभीषण राम ही उन्हें मिरचैया ताल ले गया और शव को दफनाने की जगह दिखाई। 07.03.1992 को प्रातः 05:00 बजे मिरचैया ताल से वे कैमूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित लुचाई पासवान के अरहर के खेत में गए। खेत में उन्हें खून जैसा पदार्थ पड़ा मिला। उन्होंने इस स्थान से कोई वस्तु जब्त नहीं की। पिस्तौल से संबंधित जब्ती सूची विभीषण राम के खेत से तैयार की गई। उन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सासाराम को बताया कि पिस्तौल और मसाला श्रीपति हरिजन की झोपड़ी से बरामद किया गया जो अभियुक्त विभीषण राम के पिता हैं। उन्होंने आगे कहा है कि शव को नथुनी पासवान ने उनके सामने खोदकर निकाला था, लेकिन उन्होंने केस डायरी में इसका विवरण दर्ज नहीं किया। उन्होंने शव पर मिट्टी लगी हुई पाई तथा शव के कनपटी पर छेद जैसा जख्म था और चेहरे पर मांस था तथा पूरा शरीर सूजा हुआ था और चमड़ी उखड़ी हुई थी। उन्होंने शव का विवरण जांच रिपोर्ट में दर्ज

किया था। उन्होंने 07.03.1992 को अभियुक्त विभीषण राम का स्वीकारोक्ति बयान लिया। शव को 07.03.1992 को सुबह 06:00 बजे खोदकर निकाला गया। उन्होंने आगे कहा है कि विभीषण राम ने स्वेच्छा से बयान दिया था। सूचक शिवनारायण राम ने उन्हें केवल दो अभियुक्तों के नाम बताए थे। उन्होंने आगे कहा है कि शिवनारायण राम ने उनके सामने यह नहीं बताया कि उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहां 8 दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला।

<u>अवलोकन और तर्क:-</u>

17. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने गवाहों द्वारा दिए गए बयान और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि सूचक, जो कि पीड़िता का पिता है, का *फर्दबयान* 06.03.1992 को 22:00 बजे दर्ज हुआ, जिसमें उसने मुख्य रूप से यह कहा है कि 28.02.1992 को लगभग 06:30 बजे उसका भतीजा सुदामा राम और विभीषण राम उसके घर आए और उसके बेटे दुखन को शिकार के बहाने अपने साथ ले गए। हालांकि, उसके बाद उसका बेटा वापस नहीं लौटा। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि एफ.आई.आर. लगभग 7 दिनों की अवधि के बाद दर्ज की गई थी। *फर्दबयान* से यह भी पता चलता है कि एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले तथा उक्त *फर्दबयान* देते हुए सुदामा राम से पूछताछ की गई तथा उसने बताया कि किस प्रकार मुखबिर के पुत्र की हत्या उसके द्वारा तथा विभीषण राम द्वारा की गई है, जिसके आधार पर विभीषण राम को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा दोनों को पुलिस थाने ले जाया गया।

18. यह अभिलेख से आगे पता चलता है कि अ सा -1 और अ सा -2 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है जबकि अ सा -3, अ सा -4 और अ सा -7 से अ सा -10 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और

वे मुकर गए हैं।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का मामला अ सा -5 (मोहित राम), अ सा -6 (मुखबिर) और अ सा -13 (जांच अधिकारी) द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है।

19. अ. सा. -5 जब्ती सूची का गवाह है। उक्त गवाह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि अभियुक्त विभीषण राम ने उसके सामने तथा सूचक और अन्य गांव के लोगों के सामने *चौकीदार* की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान बताया कि उसने सह-अभियुक्त सुदामा राम के साथ मिलकर मृतक दुखन की हत्या की है और उसके बाद विभीषण को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि पिस्तौल उसकी मौजूदगी में बरामद नहीं हुई।

20. अ सा -6 (सूचना देने वाला) ने बयान दिया है कि उसका बेटा शिकार के लिए विभीषण के साथ गया था। लेकिन, वह 8 दिनों तक वापस नहीं लौटा। उसने आगे कहा है कि उसने 8 दिनों तक अपने बेटे की तलाश की। हालांकि, उसके बाद *चौकीदार* और *दफादार* की मौजूदगी में 8 दिनों के बाद विभीषण राम से घटना के बारे में पूछा गया। विभीषण (अपीलकर्ता/आरोपी) ने अपना अपराध स्वीकार किया और इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जिरह के दौरान, उक्त गवाह ने कहा है कि बाग के रास्ते को लेकर उसके और उसके भाइयों के बीच विवाद था। हालांकि, उसने अपने भाइयों द्वारा दी गई धमकी के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया। उक्त घटना 6 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि उनका बेटा दुखन पहले कभी शिकार के लिए नहीं गया था। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पैरा 33 में यह भी स्वीकार किया है कि अगले दिन उसने *दरोगा* को बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने पांच व्यक्तियों के नाम नहीं लिखे हैं, हालांकि उसने पांच व्यक्तियों के नाम बताए हैं। इसलिए *दरोगा* ने पांच व्यक्तियों के नाम लिखे और उसके बाद पर्ची अपनी जेब में रख ली। *दरोगा* ने भी उक्त पांच व्यक्तियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की और इसलिए वह पुलिस अधीक्षक से मिला। इस प्रकार अ सा -6 (सूचनाकर्ता) के उपरोक्त बयान से

यह कहा जा सकता है कि सूचनाकर्ता का आचरण स्वाभाविक नहीं था। उसका बेटा पिछले 8 दिनों से लापता था और उसने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। इसके अलावा उसने पुलिस को पांच व्यक्तियों के नाम बताए और इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसे पांच व्यक्तियों पर संदेह था। हालांकि, पुलिस ने उक्त पांच व्यक्तियों के बारे में पूछताछ नहीं की।

21. इस स्तर पर हम अ सा -13 (जांच अधिकारी) द्वारा दिए गए बयान का भी संदर्भ देना चाहेंगे। उक्त गवाह ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी विभीषण राम को *चौकीदार* और *दफादार* गांव के लोगों की मदद से पुलिस स्टेशन लाए थे। इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। उनका यह भी कहना है कि आरोपी विभीषण राम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसलिए उसका इकबालिया बयान दर्ज किया गया। इसके बाद वे आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर गए जहां उसने मृतक के शव को छिपाया था। आरोपी ने उसे वह स्थान भी दिखाया जहां उसने पिस्तौल रखी थी और इसलिए जब्ती सूची तैयार की गई। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस स्थान पर शव छिपाया गया था वह रात के समय दिखाया गया था, लेकिन रात होने के कारण शव को खोदा नहीं जा सका और अगले दिन सुबह उसे खोदा गया। उक्त पहलू को अ. सा. -6 (जांच अधिकारी) ने भी अपने बयान के पैरा-8 में स्वीकार किया है। अब, यह ध्यान देने योग्य है कि विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता विभीषण राम का इकबालिया बयान 07.03.1992 की सुबह पी.एस. बद्दी में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त विभीषण राम का इकबालिया बयान दर्ज किए जाने से पहले, पुलिस को उस स्थान के बारे में पता था जहां मृतक का शव और पिस्तौल

छिपाई गई थी। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि शव और पिस्तौल की खोज आरोपी द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर नहीं की गई थी।

22. इस स्तर पर, हम **बिजेंद्र उर्फ मंदार (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-16** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "16. हमने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के अनेक कथनों से खुद को आगाह किया है। यह सच हो सकता है कि कई बार न्यायालय किसी अभियुक्त को केवल उसके प्रकटीकरण कथन और परिणामी दोषसिद्ध सामग्री की बरामदगी के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। हालांकि, ऐसे अभियुक्त के अपराध को बनाए रखने के लिए, बरामदगी निर्विवाद होनी चाहिए और संदेह के तत्वों से घिरी नहीं होनी चाहिए। [विजय ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2014)14 एस सी सी 609: (2015) 1 एस सी सी (क्रि) 454] हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ जैसे: (i) दुराचार और प्रकटीकरण के बीच अंतराल की अवधि; (ii) बरामद वस्तु की समानता और बाजार में इसकी उपलब्धता; (iii) वस्तु की प्रकृति और अपराध से इसकी प्रासंगिकता; (iv) वस्तु की हस्तांतरणीयता में आसानी; (v) न्यायालय के समक्ष सत्यापनकर्ता गवाह की गवाही और विश्वसनीयता और/या अन्य ऐसे कारक, महत्वपूर्ण विचार हैं जो वसूली के आंतरिक साक्ष्य मूल्य और विश्वसनीयता को मापने में सहायता करते हैं। (देखें: तुलसीराम कानू बनाम राज्य [तुलसीराम कानू बनाम राज्य, 1951 एस सी सी 92: ए आई आर 1954 एस सी 1] , पंचो बनाम हरियाणा राज्य [पंचो बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 10 एस सी सी 165: (2012) 1 एस सी सी (क्रि) 223], राज्य राजस्थान बनाम तालेवर [राजस्थान राज्य बनाम तालेवर, (2011) 11 एस सी सी 666: (2011)3 एस सी सी (क्रि) 457] और भारमा परसराम कुदाचकर बनाम कर्नाटक राज्य [भाराम परसराम कुधाचकर बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 14 एस सी सी 431: (2015) 1 एस सी सी (क्रि) 395]"

23. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जो **2022 एस सी सी आनलाईन एस सी 1396** में रिपोर्ट किया गया है,

जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-53 और 54** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "53. यदि जांच अधिकारी का कहना है कि अभियुक्त अपीलकर्ता ने हिरासत में रहते हुए अपनी इच्छा और स्वेच्छा से यह बयान दिया है कि वह उस स्थान पर ले जाएगा जहां उसने अपराध का हथियार अपने खून से सने कपड़ों के साथ छिपाया था, तो जांच अधिकारी को सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाना चाहिए था। जब दो स्वतंत्र गवाह पुलिस स्टेशन पहुंचें, तो उनकी मौजूदगी में अभियुक्त से कहा जाना चाहिए कि वह उस स्थान को इंगित करने के संबंध में उचित बयान दे, जहां उसने अपराध का हथियार छिपाया था। जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है, तो अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक बयान या बल्कि सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे जांच अधिकारी कानून के अनुसार तैयार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा पंचनामा के पहले भाग में तैयार किया जाता है। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पुलिस स्टेशन में एक विशेष बयान दर्ज किया जाएगा ताकि यह विश्वास हो सके कि अभियुक्त ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से उस स्थान को इंगित करने की इच्छा व्यक्त की है जहां अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या कोई अन्य वस्तु छिपाई गई थी। पंचनामा का पहला भाग पूरा होने के बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के साथ अभियुक्त द्वारा बताए गए विशेष स्थान पर जाएगा। यदि उस विशेष स्थान से अपराध के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई चीज मिलती है तो पूरी प्रक्रिया का वह हिस्सा पंचनामा का दूसरा भाग होगा। कानून इस तरह से जांच अधिकारी से साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज पंचनामा तैयार करने की अपेक्षा करता है। यदि हम जांच अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को पढ़ें तो यह स्पष्ट है कि मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं में उनकी कमी है।
>
> 54. हम साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं या अनिच्छुक हैं, इसका कारण यह है कि जांच अधिकारी ने अपने मौखिक साक्ष्य में पुलिस स्टेशन में अभियुक्त द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में ठीक-ठीक नहीं कहा है। साक्ष्य को खारिज करने का दूसरा कारण यह है कि जांच अधिकारी साक्ष्य पंचनामा की विषय-वस्तु को साबित करने में विफल रहा है। साक्ष्य को खारिज करने का तीसरा कारण यह है कि यदि जांच अधिकारी के संपूर्ण मौखिक साक्ष्य को वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए, तो भी जो

> कमी रह जाती है, वह है साक्ष्य को छिपाने का लेखकत्व। साक्ष्य को खारिज करने का चौथा कारण यह है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान पंच गवाहों में से एक अ. सा. -2, छत्रपाल रैदास से पूछताछ की गई थी, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा कि उसने अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज के लिए पंच गवाह के रूप में भी काम किया था। दूसरा पंच गवाह, जिसका नाम प्रताप है, यद्यपि उपलब्ध था, किसी कारण से अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछताछ नहीं की गई। इसलिए, अब हमारे पास जांच अधिकारी के साक्ष्य ही बचे हैं, जहां तक अपराध के हथियार की खोज और खून से सने कपड़ों की खोज का सवाल है, जो परिस्थितियों के एक हिस्से के रूप में अपराध को साबित करने वाले हैं। हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि भले ही खोज पंचनामा के स्वतंत्र गवाहों की जांच न की गई हो या खोज के समय कोई गवाह मौजूद न हो या कोई व्यक्ति दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सहमत न हुआ हो, कानून के प्रस्ताव के रूप में यह निर्धारित करना मुश्किल है कि पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज़ को दूषित माना जाना चाहिए और खोज साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को जांच अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करना होगा, जिसने अभियुक्त से प्राप्त बयान के आधार पर खोज के तथ्य की गवाही दी थी।"

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी से यह कहा जा सकता है कि जब अभियुक्त ने अपना इकबालिया बयान देने की इच्छा दिखाई है, तो जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस थाने में ही दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाए और स्वतंत्र गवाहों के पुलिस थाने में पहुंचने के बाद, उनकी उपस्थिति में अभियुक्त से उचित बयान देने के लिए कहा जाना चाहिए, जैसा कि वह उस स्थान को इंगित करने के संबंध में चाहे, जहां उसने अपराध के हथियार को छिपाने के लिए कहा है। इसके अलावा, जब अभियुक्त हिरासत में रहते हुए दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के समक्ष ऐसा बयान देता है, तो अभियुक्त द्वारा कहे गए सटीक बयान या कहे गए सटीक शब्दों को पंचनामा के पहले भाग में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे जांच अधिकारी कानून के अनुसार तैयार कर सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजन के

लिए पंचनामा का यह पहला भाग हमेशा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस स्टेशन में तैयार किया जाता है, ताकि यह विश्वास दिलाया जा सके कि अभियुक्त द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से यह बताने के लिए एक विशेष बयान दिया गया था कि अपराध करने में प्रयुक्त वस्तु कहाँ छिपाई गई है। एक बार पंचनामा का पहला भाग पूरा हो जाने के बाद, उसके बाद पुलिस दल अभियुक्त और दो स्वतंत्र गवाहों (पंच गवाहों) के साथ अभियुक्त द्वारा बताए गए विशेष स्थान पर जाएगा। यदि उस विशेष स्थान से अपराध का हथियार या खून से सने कपड़े या कोई अन्य वस्तु जैसी कोई चीज मिलती है, तो पूरी प्रक्रिया का वह भाग साक्ष्य अधिनियम की धारा-27 के तहत पंचनामा का दूसरा भाग होगा।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाए, तो यह पता चलता है कि जांच अधिकारी ने अपने संपूर्ण मौखिक साक्ष्य में उपरोक्त पहलुओं के बारे में खुलासा नहीं किया था और इसलिए, अभियुक्त विभीषण राम के इकबालिया बयान के अनुसरण में किए गए खोज के साक्ष्य के संबंध में अभियोजन पक्ष का सिद्धांत विधिवत साबित नहीं हुआ है। इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्त विभीषण राम के इकबालिया बयान को दर्ज करने से पहले, वह स्थान जहां शव छिपाया गया था और पिस्तौल रखी गई थी, वह पुलिस अधिकारी को पता था।

26. अब, जहाँ तक अपीलकर्ता सुदामा राम का सवाल है, ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त विभीषण राम के बयान के आधार पर उसे फंसाया नहीं गया है। इसलिए, इस स्तर पर, हम इस प्रश्न की जाँच करना चाहेंगे कि क्या सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान अपीलकर्ता सुदामा राम को बाध्य कर सकता है या नहीं और किस हद तक।

27. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरिचरण कुर्मी और जोगिया हजाम बनाम बिहार राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसकी रिपोर्ट **1964 एस सी सी आनलाईन एस सी 28** में दी गई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-14** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "14. धारा 30 में निहित प्रावधानों के पूर्ण प्रभाव की सराहना करते हुए, अधिनियम की धारा 133 के तहत एक सहयोगी द्वारा दिए गए साक्ष्य की स्थिति का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है। धारा 133 में प्रावधान है कि एक सहयोगी अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह होगा; और यह कि एक दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है क्योंकि यह एक सहयोगी की अपुष्ट गवाही पर आगे बढ़ती है। अधिनियम की धारा 114 के लिए उदाहरण (बी) कानूनी स्थिति को सामने लाता है कि एक सहयोगी विश्वास के योग्य नहीं है, जब तक कि वह भौतिक विवरणों में पुष्ट न हो। इन दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि हालांकि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह है, लेकिन विवेक की आवश्यकता है कि उसके साक्ष्य पर तब तक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह भौतिक रूप से पुष्ट न हो; और यही इस बिंदु से निपटने वाले न्यायिक निर्णयों का प्रभाव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अदालत किसी सहयोगी द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय उक्त साक्ष्य को मूल साक्ष्य मान सकता है और जांच कर सकता है कि यह भौतिक रूप से पुष्ट है या नहीं। सहयोगी की गवाही अधिनियम की धारा 3 के तहत साक्ष्य है और इसे इसी रूप में निपटाया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दागी चरित्र का साक्ष्य है और इस तरह यह बहुत कमजोर है; लेकिन फिर भी यह साक्ष्य है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि यह आवश्यकता हो जो अब वस्तुतः कानून का हिस्सा बन गई है कि यह भौतिक विवरणों में पुष्ट हो।"

28. **सुब्रमण्य बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में, **(2023) 11 एस सी सी 255** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-63 से 67 में उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से यह देखा है कि धारा 30, हालांकि, यह प्रावधान करती है कि न्यायालय स्वीकारोक्ति पर विचार कर सकता है और इस प्रकार निस्संदेह इसे साक्ष्य बना सकता है जिस पर न्यायालय

कार्रवाई कर सकता है, लेकिन धारा यह नहीं कहती है कि स्वीकारोक्ति सबूत के बराबर है। समान रूप से, मामले में साबित किए गए सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए अन्य साक्ष्य और स्वीकारोक्ति या केवल एक तत्व होना चाहिए जिसे तराजू में रखा जा सकता है और अन्य साक्ष्यों के साथ तौला जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आपराधिक मुकदमे में नैतिक दोषसिद्धि या गंभीर संदेह के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा, आपराधिक मामलों में जहां आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पूरी तरह से असंतोषजनक हैं और अभियोजन पक्ष सह-आरोपी व्यक्ति के इकबालिया बयान पर भरोसा करना चाहता है, निर्दोषता की धारणा, जो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक न्यायशास्त्र का आधार है और अदालत को यह फैसला देने के लिए मजबूर करती है कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुआ है और इसलिए वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

29. **सुरिंदर कुमार खन्ना (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-10 से पैरा-12** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> **"10.** *कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, (1952) 1 एस सी सी 275: 1952 एस सी आर 526: ए आई आर 1952 एस सी 159: 1952 क्रि .ला .ज . 839] में, इस न्यायालय ने भुबोनी साहू बनाम आर [*भुबोनी साहू बनाम आर*, 1949 एस सी सी ऑनलाइन पी सी 12: (1948-49) 76 आई ए 147 पृष्ठ 155 पर] में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया और निम्नानुसार निर्धारित किया: (ए आई आर पृष्ठ 160, पैरा 8-10)
>
> "8. गुरुबचन के कबूलनामे ने अपीलकर्ता को फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह सवाल तुरंत उठता है कि एक आरोपी व्यक्ति के कबूलनामे का इस्तेमाल सह-आरोपी के खिलाफ किस हद तक और किस तरह से किया जा सकता है? यह स्पष्ट है कि यह शब्द के सामान्य अर्थ में साक्ष्य नहीं है, क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने भुबोनी साहू बनाम आर. [*भुबोनी साहू बनाम आर.*, 1949 एस सी सी ऑनलाइन पी सी 12: (1948-49) 76 आई ए 147 पृष्ठ 155 पर] में कहा है: (एस सी सी ऑनलाइन पी सी)

'...यह वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित "साक्ष्य" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसे न तो शपथ पर दिया जाना चाहिए और न ही अभियुक्त की उपस्थिति में, और इसे क्रॉस एग्जामिनेशन द्वारा परखा नहीं जा सकता है।'

माननीय न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि

यह स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है..... यह अनुमोदक के साक्ष्य की तुलना में बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, जो इनमें से किसी भी दुर्बलता के अधीन नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के इकबालिया बयान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता और इसका इस्तेमाल केवल "अन्य साक्ष्यों के समर्थन में" किया जा सकता है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर, उसी आधार को कवर करना व्यर्थ होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसे और अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है क्योंकि गलतफहमी अभी भी मौजूद है। सवाल यह है कि इसे अन्य साक्ष्यों के समर्थन में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इसका इस्तेमाल छूटे हुए अंतरालों को भरने के लिए किया जा सकता है? क्या इसका इस्तेमाल किसी साथी या, जैसा कि वर्तमान मामले में है, किसी गवाह की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जो कि साथी न होते हुए भी, विश्वसनीयता के मामले में उसी श्रेणी में आता है क्योंकि न्यायाधीश उस पर तब तक विश्वास करने से इनकार करता है जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए?

9. हमारी राय में, सर लॉरेंस जेनकिंस ने एम्परर बनाम ललित मोहन चकरबुट्टी [एम्परर बनाम ललित मोहन चकरबुट्टी, आई.एल.आर. (1911) 38 कैल 559 पृष्ठ 588 पर] में इस मामले को संक्षेप में रखा था, जहाँ उन्होंने कहा था कि इस तरह के इकबालिया बयान का इस्तेमाल केवल "सह-आरोपी के खिलाफ अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए" किया जा सकता है या इसे दूसरे तरीके से कहें, जैसा कि रेली, जे. ने पेरियास्वामी मूपन, इन रे [पेरियास्वामी मूपन, इन रे, 1930 एस.सी.सी. ऑनलाइन मैड 86: आई.एल.आर. (1931) 54 मैड 75 पृष्ठ 77 पर] में किया था: (एस.सी.सी. ऑनलाइन मैड)

'...प्रावधान इससे आगे नहीं जाता है - जहां सह-अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अगर उस पर विश्वास किया जाए, तो उसे दोषी ठहराने के लिए, धारा 30 में वर्णित स्वीकारोक्ति को उस सबूत पर विश्वास करने के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में शामिल किया जा सकता है।'

10. इन टिप्पणियों को ठोस शब्दों में अनुवाद करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इस तरह के मामले को देखने का उचित तरीका है, सबसे पहले, अभियुक्त के खिलाफ़ सबूतों को इकट्ठा करना और स्वीकारोक्ति को विचार से पूरी तरह बाहर रखना और देखना कि अगर उस पर विश्वास किया जाता है, तो क्या उस पर सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि आधारित हो सकती है। अगर यह स्वीकारोक्ति से स्वतंत्र रूप से विश्वास करने योग्य है, तो बेशक स्वीकारोक्ति को सहायता के रूप में बुलाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जहाँ न्यायाधीश अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही अगर उस पर विश्वास किया जाए, तो वह दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश स्वीकारोक्ति को सहायता के रूप में बुला सकता है और इसका उपयोग अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए कर सकता है और इस तरह खुद को उस बात पर विश्वास करने के लिए मज़बूत कर सकता है जिसे स्वीकारोक्ति की सहायता के बिना वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा।

11. *कश्मीरा सिंह [कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, (1952) 1 एससीसी 275: 1952 एससीआर 526: एआईआर 1952 एससी 159: 1952 क्रि एलजे 839] में निर्धारित कानून को इस न्यायालय की संविधान पीठ ने *हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य* [हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, (1964) 6 एससीआर 623 पृष्ठ 631-633 पर: एआईआर 1964 एससी 1184: (1964) 2 क्रि एलजे 344] में अनुमोदित किया था, जिसमें यह देखा गया था: (*हरिचरण मामला [हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य*, (1964) 6 एससीआर 623 पृष्ठ 631-633 पर: एआईआर 1964 एससी 1184 : (1964) 2 सीआरआई एलजे 344], आकाशवाणी पी. 1188, पैरा 12)

"12. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इस प्रश्न पर कई मौकों पर न्यायिक निर्णयों द्वारा विचार किया गया है और लगातार यह माना गया है कि एक इकबालिया बयान को ऐसे साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता जो सह-आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ठोस साक्ष्य हो। एक आपराधिक मामले से निपटने में जहां अभियोजन पक्ष एक आरोपी व्यक्ति के दूसरे आरोपी व्यक्ति के खिलाफ इकबालिया बयान पर निर्भर करता है, अपनाने के लिए उचित दृष्टिकोण ऐसे आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अन्य सबूतों पर विचार करना है, और यदि उक्त सबूत संतोषजनक प्रतीत होता है और अदालत यह मानने के लिए इच्छुक है कि उक्त सबूत उक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप को कायम रख सकते हैं, तो अदालत खुद को आश्वस्त करने के

उद्देश्य से इकबालिया बयान की ओर मुड़ती है कि वह अन्य सबूतों से जो निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक है वह सही है। जैसा कि *सर लॉरेंस जेनकिंस ने सम्राट बनाम ललित मोहन चकरबुट्टी [सम्राट बनाम ललित मोहन* चकरबुट्टी, आईएलआर (1911) 38 कैल 559 पृष्ठ पर] में देखा था। 588.] एक स्वीकारोक्ति का उपयोग केवल "सह-आरोपी के खिलाफ अन्य साक्ष्य को आश्वासन देने के लिए" किया जा सकता है। *पेरियास्वामी मूपन में, इन रे [पेरियास्वामी मूपन, इन रे,* 1930 एससीसी ऑनलाइन मैड 86: आईएलआर (1931) 54 मैड 75 पृष्ठ 77 पर] रेली, जे., ने देखा कि धारा 30 का प्रावधान इससे आगे नहीं जाता है: (एससीसी ऑनलाइन मैड)

> '...जहां सह-अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, अगर उन पर विश्वास किया जाए, तो उसकी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए, धारा 30 में वर्णित स्वीकारोक्ति को उस सबूत पर विश्वास करने के लिए एक अतिरिक्त कारण के रूप में शामिल किया जा सकता है।'

भुबोनी साहू बनाम आर. [भुबोनी साहू बनाम आर., 1949 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 12: (1948-49) 76 आई.ए. 147 पृष्ठ 155 पर] में प्रिवी काउंसिल ने भी यही राय व्यक्त की है। बोर्ड की ओर से बोलने वाले सर जॉन ब्यूमोंट ने कहा कि: (एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी.)

> '... सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान स्पष्ट रूप से बहुत कमज़ोर किस्म का सबूत है। यह वास्तव में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में निहित "साक्ष्य" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसे न तो शपथ पर दिया जाना चाहिए और न ही अभियुक्त की मौजूदगी में, और न ही इसे जिरह द्वारा परखा जा सकता है। यह एक अनुमोदक के सबूत की तुलना में बहुत कमज़ोर किस्म का सबूत है, जो इनमें से किसी भी कमज़ोरी के अधीन नहीं है। हालाँकि, धारा 30 में प्रावधान है कि अदालत इकबालिया बयान पर विचार कर सकती है और इस तरह, निस्संदेह, इसे सबूत बनाती है जिस पर अदालत कार्रवाई कर सकती है; लेकिन धारा यह नहीं कहती है कि इकबालिया बयान सबूत के बराबर है। स्पष्ट रूप से अन्य सबूत भी होने चाहिए। मामले में साबित किए गए सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए इकबालिया बयान सिर्फ़ एक तत्व है; इसे तराजू में रखा जा सकता है और अन्य सबूतों के साथ तौला जा सकता है।'

> यह देखा जा सकता है कि धारा 30 में निहित प्रावधानों के परिणामस्वरूप, स्वीकारोक्ति को सामान्य रूप से साक्ष्य माना जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा जो भी माना जाता है वह साक्ष्य है; न्यायालय द्वारा विचार की गई परिस्थितियाँ और संभावनाएँ उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य हैं। इस प्रकार, यद्यपि धारा 30 के प्रावधानों के कारण स्वीकारोक्ति को उस सामान्य अर्थ में साक्ष्य माना जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अधिनियम की धारा 3 द्वारा परिभाषित साक्ष्य नहीं है। इसलिए, परिणाम यह है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामले से निपटने में न्यायालय सह-अभियुक्त व्यक्ति की स्वीकारोक्ति से शुरू नहीं कर सकता है; उसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से शुरू करना चाहिए और जब वह उक्त साक्ष्य की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपनी राय बना ले, तो न्यायिक मन द्वारा उक्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वीकारोक्ति की ओर मुड़ना अनुमेय है। संक्षेप में कहा जाए तो धारा 30 में निहित प्रावधानों का प्रभाव यही है। इसी विचार को इस न्यायालय ने *कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (1952) 1 एससीसी 275: 1952 एससीआर 526: एआईआर 1952 एससी 159: 1952 क्रि एलजे 839] में व्यक्त किया है, जहां *भुबोनी साहू मामले* में प्रिवी काउंसिल के निर्णय *[भुबोनी साहू बनाम आर,* 1949 एससीसी ऑनलाइन पीसी 12: (1948-49) 76 आईए 147 पृष्ठ 155 पर] को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।"
>
> 12. इस न्यायालय द्वारा हमेशा इस प्रकार निर्धारित कानून का पालन किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहां कानून में ऐसा विशिष्ट प्रावधान है जो सह-आरोपी के ऐसे इकबालिया बयान को दूसरे आरोपी के खिलाफ स्वीकार्य बनाता है। [उदाहरण के लिए: *राज्य बनाम नलिनी,* (1999) 5 एससीसी 253, पैरा 424 और 704: 1999 एससीसी (क्रि) 691]"

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि आपराधिक मामले में जब अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त के विरुद्ध दूसरे अभियुक्त के इकबालिया बयान पर निर्भर करता है, तो उचित तरीका यह है कि ऐसे अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाए और यदि उक्त साक्ष्य

संतोषजनक प्रतीत होता है और न्यायालय यह मानने के लिए इच्छुक है कि उक्त साक्ष्य उक्त अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को पुष्ट कर सकते हैं, तो न्यायालय इकबालिया बयान का सहारा लेता है ताकि स्वयं को आश्वस्त कर सके कि अन्य साक्ष्यों से वह जो निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक है, वह सही है। वर्तमान मामले में सह-अभियुक्त विभीषण राम के बयान के अलावा अपीलकर्ता सुदामा राम को संबंधित घटना से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है और इसलिए हमारा विचार है कि केवल सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर अपीलकर्ता सुदामा राम को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

31. इस स्तर पर, हम **शरद बिरधी चंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, **(1984) 4 एस सी सी 116** में रिपोर्ट किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पैरा-152 और पैरा-153** में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

> "152. इस निर्णय का गहन विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
>
> (1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।
>
> यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियों को 'अवश्य या करना चाहिए' और 'स्थापित किया जा सकता है' नहीं। 'साबित किया जा सकता है' और 'साबित किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाना चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793: (एआईआर 1973 एससी 2622) में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:
>
> "निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषी होना चाहिए, न कि केवल दोषी हो सकता है, इससे पहले कि अदालत उसे दोषी ठहराए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच

मानसिक दूरी बहुत लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें हर संभव परिकल्पना को छोड़ देना चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जिसे साबित किया जाना है, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

153. ये पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, अगर हम ऐसा कहें तो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के सबूत के पंचशील का गठन करते हैं।"

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जाए, तो हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहा है, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने कथित अपराध किए हैं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है। हमने विवादित निर्णय और आदेश देते समय विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कों पर भी गौर किया है और हमारा मानना है कि विचारण न्यायालय ने इसे पारित करते समय गंभीर गलती की है। इसलिए, उसी निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

<u>निष्कर्ष:-</u>

33. तदनुसार, विद्वान त्वरित विचरण न्यायालय -प्रथम, रोहतास, सासाराम द्वारा शिवसागर (बद्दी) थाना कांड संख्या 34/1992 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या

285/93 में दिनांक 26.09.2018 को पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दिनांक 03.10.2018 को पारित सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

34. दोनों अपीलकर्ता हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तत्काल जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

35. दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्त्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्त्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।